मध्य प्रदेश शासन
प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति
सचिवालय
कार्यालयः टैगोर छात्रावास क्रमाँक टी–2, श्यामला हिल, भोपाल–462002
दूरभाष एवं फैक्स : 0755–2660461, email:afrcmp@gmail.com, web site: www.afrcmp.org

क्रमांक / सचि. / ओएसडी / 2020 / 772 दिनांक– 20/8/2020

प्रति,

अध्यक्ष / सचिव / संचालक,
प्रदेश के निजी क्षेत्र की गैर अनुदान प्राप्त व्यावसायिक शिक्षण संस्थाऐ
मध्यप्रदेश।

विषयः– प्रदेश के निजी क्षेत्र की गैर अनुदान प्राप्त व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं के सत्र् 2018–19 के शुल्क विनियमन के संबंध में।

संदर्भः– क्रमांक / सचि. / ओएसडी / 2019 / 2877 दिनांक 01.08.2019

मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम–2007 के तहत् गठित प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति मध्यप्रदेश शासन तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा प्रकाशित राजपत्र दिनांक 15 अप्रैल 2008 के विनियमन की कंडिका 5 (5) (एक) में दिये गये प्रावधानों के अनुरूप प्रदेश में स्थित निजी क्षेत्र की गैर अनुदान प्राप्त संस्ध्थाओं के द्वारा संचालित तकनीकी शिक्षा उच्च शिक्षा एवं चिकित्सा शिक्षा अनुमोदित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के सत्र् 2018–19 के शुल्क विनियमन के संबंध में मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल में दिनांक 26.06.2019 को आयोजित बैठक में लिये गये निर्णयानुसार संस्थाओं के विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का वितरण किये जाने हेतु संस्थाओं पर वैधानिक कार्यवाही कर शुल्क विनियमन करने के निर्देश पत्र क्रमांक / 433 / 458 / 2019 / 25–2 दिनांक 05.07.2019 द्वारा दिये गये हैं।

उपरोक्त जारी निर्देशों के तारतम्य में कतिपय संस्थाओं द्वारा सत्र् 2018–19 का शुल्क विनियमन आज दिनांक तक नहीं कराया गया है। अतः ऐसी शेष संस्थाऐं जिनके द्वारा सत्र् 2018–19 की शुल्क विनियमन की कार्यवाही आज दिनांक तक नहीं करवायी गयी है। ऐसी शेष संस्थाओं को सत्र् 2018–19 के शुल्क विनियमन कराये जाने के संबंध में माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार अंतिम अवसर प्रदान किया जाकर दिनांक 31.08.2020 तक प्रस्ताव प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति सचिवालय कार्यालय को प्रस्तुत कर कार्यवाही पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिये जाते हैं।

अतः दिये गये निर्देशानुसार शेष रही संस्थाओं के शुल्क विनियमन संबंधी प्रस्ताव समिति सचिवालय के कार्यालय में दिनांक 31.08.2020 तक प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(डॉ. आलोक चौबे)
सचिव / विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

पृ. क्रमांक / सचि. / ओएसडी / 2020 / दिनांक–

प्रतिलिपिः– माननीय अध्यक्ष महोदय प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(सही)
(डॉ. आलोक चौबे)
सचिव / विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी